उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान. कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007.

पत्रांक: 86 55 / उ०प्र० रेरा / प्रशा० / 2023-24

-

दिनांकः 🖉 जून 2023

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनी 122वीं बैठक दिनांक 22.05.2023 में रेरा अधिनियम की धारा–81 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण के समक्ष अपंजीकृत परियोजनाओं के आवंटियों द्वारा दर्ज शिकायतों की सुनवाई तथा निर्णय की शक्ति प्रतिनिधानित करने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिया गया:–

प्राधिकरण में वर्तमान में मा० अध्यक्ष तथा दो मा० सदस्यगण कार्यरत हैं। प्राधिकरण के के कार्यालय आदेश दिनांक 27.08.2022 के अधीन मा० सदस्यगण एन.सी.आर. क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात हैं और उनके द्वारा एन.सी.आर. क्षेत्र की शिकायतों तथा आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धी मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा एन.सी.आर. क्षेत्रीय कार्यालय पीठ–1ए के समक्ष योजित तथा विचाराधीन शिकायतों के साथ–साथ नॉन एन.सी. आर. क्षेत्र की सभी शिकायतों तथा आदेशों के कार्यान्वयन के प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। प्राधिकरण में मा० सदस्य का एक पद रिक्त है और लखनऊ मुख्यालय में प्राधिकरण के किसी सदस्य की पूर्णकालिक उपलब्धता न होने से नॉन–एन.सी.आर. क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा उ.प्र. रेरा में योजित शिकायतों का निस्तारण कदाचित अव्यवस्थित हो गया है। उदाहरण स्वरूप शिकायतकर्ताओं को दूर की तिथियाँ मिल रही हैं। प्राधिकरण द्वारा नॉन–एन.सी.आर. क्षेत्र की शिकायतों तथा आदेश कार्यान्वयन के मामलों में आवंटियों की शिकायतों की यथोचित व्यवस्था निर्धारित किया जाना आवंटियों समेत अन्य हित धारकों के कल्याण में साधक होगा।

रेरा अधिनियम की धारा–81 में प्राधिकरण को निम्नवत शक्तियों के प्रतिनिधायन का अधिकार दिया गया है :–

81. The Authority may, by general or special order in writing, delegate to any member, officer of the Authority or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act (except the power to make regulations under section 85, as it may deem necessary.

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा मेसर्स न्यूटेक प्रोमोटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा अन्य सम्बद्ध सिविल अपीलों में इस प्रश्न का निर्णय दिनांक 11.11.2021 को किया गया और रेरा अधिनियम की धारा–81 के प्राविधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अपनी शक्तियों को प्रतिनिधानित करने के निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सिद्धान्त को विधि सम्मत विनिश्चित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रस्तर–120 निम्नवत है:– 120. In view of the remedial mechanism provided under the scheme of the Act 2016, in our considered view, the power of delegation under Section 81 of the Act by the authority to one of its delegation under Section 81 of the Act by the authority to one of its member deciding applications/complaints under Section 31 of the Act is not only well defined but expressly permissible and that cannot be said to be dehors the mandate of law.

मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रस्तर—116 का भी संदर्भ प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे विदित है कि मा० न्यायालय की मंशा यह है कि प्राधिकरण द्वारा किया गया अधिकारों का प्रतिनिधायन तर्कपूर्ण होगा। प्रस्तर—116 निम्नवत है :—

116. The further submission made by learned counsel for the promoters that Section 81 of the Act empowers even delegation to any officer of the authority or any other person, it is true that the authority, by general or special order, can delegate any of its powers and functions to be exercised by any member or officer of the authority or any other person but we are not examining the delegation of power to any third party. To be more specific, this Court is examining the limited question as to whether the power under Section 81 of the Act can be delegated by the authority to any of its member to decide the compliant under Section 31 of this Act. What has been urged by learned counsel for the promoters is hypothetical which does not arise in the facts of the case. If the delegation is made at any point of time which is in contravention to the scheme of the Act or is not going to serve the purpose and object with which power to delegate has been mandated under Section 81 of the Act, it is always open for judicial review.

- 1- श्री हरीश त्रिपाठी न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पूरे प्रदेश के अपंजीकृत परियोजनाओं के आवंटियों द्वारा धारा–31 के अन्तर्गत योजित शिकायतों की सुनवाई करके यह विनिश्चय किया जाएगा कि क्या प्रश्नगत परियोजना रेरा अधिनियम की धारा–3 सपठित धारा–4 तथा उ.प्र. रेरा नियमावली के नियम–2(h) तथा अधिनियम तथा नियमावली के अन्य सुसंगत प्राविधानों के अनुसार पंजीकरण योग्य है। यदि उनके द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि परियोजना पंजीकरण योग्य नहीं है तो तदनुसार शिकायत का अंतिम रूप से निर्णय किया जाएगा और यदि उनके द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि परियोजना वीं यदि उनके द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि परियोजना वीं के त्र त्या यह वीं है तो तदनुसार शिकायत का अंतिम रूप से निर्णय किया जाएगा और यदि उनके द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि परियोजना के परियोजना यांग्य नहीं है तो तदनुसार शिकायत का अंतिम रूप से निर्णय किया जाएगा और यदि उनके द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि परियोजना के परियोजना के द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि परियोजना के त्या दि उनके द्वारा का पंजीकरण सोग्य नहीं है तो तदनुसार शिकायत का अंतिम रूप से निर्णय किया जाएगा और यदि उनके द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि परियोजना के परियोजना के द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि परियोजना के देते त्या जाता है कि परियोजना के परियोजना के परियोजना के परियोजना का पंजीकरण आवश्यक है, तो प्रकरण सचिव उ.प्र. रेरा को परियोजना के पंजीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु संदर्भित किया जाएगा।
- 2- श्री हरीश त्रिपाठी न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा धारा–31 के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शिक्कायतों तथा उनमें पारित आदेशों के कार्यान्वयन के मामलों एवं न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष क्षतिपूर्ति हेतु शिकायतों का निर्णय अलग–अलग किया जाएगा भले ही दोनों शिकायतें एक ही परियोजना या एक ही आवंटी से सम्बन्धित हों।

- 3- श्री हरीश त्रिपाठी न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा रेरा अधिनियम, उ.प्र. रेरा नियमावली, मा० उच्चतम न्यायालय, मा० उच्च न्यायालय तथा मा० अपील अधिकरण द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धान्तों, प्राधिकरण के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.10.2022 में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर निर्गत अन्य आदेशों तथा मानक प्रक्रियाओं (SOP) का अनुसरण किया जाएगा।
- 4- प्राधिकरण में नये सदस्य की तैनाती के बाद इस प्रतिनिधायन आदेश पर पुनर्विचार करते हुए संशोधित आदेश जारी किया जाएगा।

' (उमा शंकर सिंह) संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- (1) मा० अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
- (2) मा० सदस्यगण, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
- (3) श्री हरीश त्रिपाठी, एडज्यूडिकेटिंग आफिसर उ.प्र. रेरा मुख्यालय लखनऊ।
- (4) विधि सलाहकार उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (5) तकनीकी सलाहकार उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (6) / संयुक्त , सचिव / उप सचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (त) सहायक निदेशक (सिस्टम्स) / सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. रेरा को प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर आदेश अपलोड करने हेतू।

(उमा श्रंकर सिंह) संयुक्त सचिव